भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1849

गुरूवार, 16 मार्च, 2023 / 25 फाल्गुन, 1944 (शक)

ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत लाभ

1849. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है;

(ख) ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना कवर से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए ऐसी और योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संबंधों (लिंकेजिस) पर वर्तमान में क्या प्रगति हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): दिनांक 10 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर कुल 28.64 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। ई-श्रम पोर्टल में राज्यवार पंजीकरण का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पर पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आकस्मिक मौतों/नि:शक्तता के दावे के संबंध में शिकायत प्रबंधन प्रणाली में कुल लगभग 3250 अभ्यावेदन दर्ज किए गए हैं।

मंत्रालय ने ई-श्रम पर पंजीकरण कराने वालों को लाभ प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे:

1) ई-श्रम पोर्टल राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत है। आदिनांक 13 लाख से अधिक ई-श्रम रोजगार चाहने वालों ने एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया है।

2) ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है, के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। ई-श्रम पर पंजीकृत उपयोगकर्त्ता निर्बाध रूप से पीएमएसवाईएम योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

3) ई-श्रम पर पंजीकरण कराने वाला कोई व्यक्ति, जो एनसीएस पर पंजीकृत है, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण का लाभ उठा सकता है जो नि:शुल्क है।

*

*****

अनुबंध

"ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत लाभ" के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2023 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1849 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	कुल पंजीकरण (10 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार)
1.	अंडमान * निकोबार द्वीप समूह	28,541
2.	आंध्र प्रदेश	79,44,509
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,40,935
4.	असम	69,37,489
5.	बिहार	2,85,73,732
6.	चंडीगढ़	1,74,223
7.	छत्तीसगढ	82,67,354
8.	दिल्ली	32,53,701
9.	गोवा	58,322
10.	गुजरात	93,61,906
11.	हरियाणा	52,59,088
12.	हिमाचल प्रदेश	19,24,152
13.	जम्मू और कश्मीर	33,82,813
14.	झारखंड	91,61,363
15.	कर्नाटक	75,04,588
16.	केरल	59,05,051
17.	लद्दाख	29,301
18.	लक्षद्वीप	2,442
19.	मध्य प्रदेश	1,69,41,863
20.	महाराष्ट्र	1,35,07,560
21.	मणिपुर	4,05,373
22.	मेघालय	2,89,751
23.	मिजोरम	58,345
24.	नागालैंड	2,18,759
25.	ओडिशा	1,33,30,505
26.	पुदुचेरी	1,76,507
27.	पंजाब	54,98,061
28.	राजस्थान	1,28,21,298
29.	सिक्किम	25,016
30.	तमिलनाडु	83,91,059
31.	तेलंगाना	41,27,415
32.	दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव	72,914
33.	त्रिपुरा	8,44,823
34.	उत्तर प्रदेश	8,30,22,007
35.	उत्तराखंड	29,73,004
36.	पश्चिम बंगाल	2,58,06,407
कुल		**28,64,20,177**

*****